रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022024-252257 CG-DL-E-20022024-252257

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2024/फाल्गुन 1, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945

No. 759]

V DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

का.आ. 795(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 20 ग में, उपखंड 4 में,शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
 - 3. उक्त आदेश में, प्ररूपछ-3 में, दूसरे पैरा में, मद 5 में, "2024" अंको के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 3-14/2019उर्वरक-विधि] योगिता राना, संयुक्त सचिव

1152 GI/2024 (1)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 20th February, 2024

S.O. 795(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, namely:-

1. Short title and Commencement.-

- (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order, 2024
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the OfficialGazettee
- 2.In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 20C, in sub-clause (4) for the words "three years" the words "four years" shall be substituted.
- 3.In said Order, in Form G-3, in second paragraph occurring after item 5, for the figures "2024", the figures "2025" shall be substituted.

[F. No. 3-14/2019Fert Law] YOGITA RANA, Jt. Secy.